

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 342 राँची, बुधवार,

16 आषाढ़, 1943 (श॰) 7 जुलाई, 2021 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 7 जुलाई, 2021

संख्या-एल॰जी॰-03/2021-39/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-02/07/2021 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

> झारखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2021 (झारखण्ड अधिनियम संख्या- 06, 2021)

झारखण्ड राज्य में विद्युत की उत्पादन, विक्रय, वितरण तथा उपभोग पर हरित ऊर्जा उपकर लगाने हेतु <u>अधिनियम</u>

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम] विस्तार और प्रारम्भ:-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम] 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं -

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "उपकर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन हरित ऊर्जा उपकर;
- (ख) "संग्रहकर्ता" अथवा "निरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन कर संग्रहण हेत् राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है;
- (ग) "कैप्टिव उत्पादन संयत्र" से अभिप्राय है कि ऐसे ऊर्जा संयत्र जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा ,8) के अंतर्गत परिभाषित है;
- (घ) "यूनिट" अर्थात् एक घंटे में एक किलोवाट उपभोग या उत्पादित की गई विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;
- (ङ) "निधि" से अधिनियम की धारा 6 के द्वारा स्थापित हरित ऊर्जा निधि अभिप्रेत है;
- (च) "उत्पादन कम्पनी" से अभिप्राय है कोई भी कंपनी अथवा कॉर्पोरेट संस्थान अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों का समूह या कोई व्यक्ति या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके एक उत्पादन इकाई या अतिरिक्त उत्पादन इकाई का मालिक है या संचालन करता है:
- (छ) "अपीलीय प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) "राज्य सरकार" से झारखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) इस अधिनियम में उपयोग किए गए अपरिभाषित शब्द तथा भाव झारखण्ड विद्युत शुल्क अधिनियम में परिभाषित शब्द और भाव होंगे।

3. हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण एवं संग्रहण

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के तहत हरित ऊर्जा उपकर के रूप में उपकर भारित एवं संग्रहित किया जाएगा।

(2) ऊर्जा उत्पादन सयंत्र के लिए:-

झारखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित पांरपिरक स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले इकाईयों ए झारखण्ड राज्य के वितरण लाईसेंसधारियों अथवा झारखण्ड राज्य के उपभोक्ताओं को ए अथवा स्वंय के द्वारा अथवा स्वंय के कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित अविध में बेची गई अथवा आपूर्ति की गई अथवा उपभोग की कुल विद्युत ऊर्जा परए निर्धारित समय पर निदिष्ट तरीके से प्रत्येक विद्युत इकाई पर हिरित ऊर्जा उपकर भारित किया जाएगाए जो राज्य सरकार को देय होगा। इस धारा के अधीन भारित हिरित ऊर्जा उपकर विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा देय होगा।

(3) 33 के0भी0 और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे विद्युत उपभोक्ताओं के लिए:-

33 के0भी0 और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली पर हरित ऊर्जा उपकर लगाया जाएगा। उक्त उपकर की राशि, वितरण लाईसेंसधारियों द्वारा एकत्र कर राज्य सरकार के हरित ऊर्जा नीधि में जमा की जाएगी। इस धारा के अधीन भारित हरित ऊर्जा उपकर वितरण लाईसेंसधारियों द्वारा देय होगा।

(4) कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन संयत्र के लिए:-

झारखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित कैप्टिव उत्पादन संयत्र के मालिक अथवा संचालक द्वारा झारखण्ड राज्य में स्थित वितरण लाईसेंसधारी अथवा उपभोक्ताओं अथवा स्वंय के कर्मचारियों को बेची गई अथवा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक इकाई पर राज्य सरकार को निर्धारित समय पर एवं यथानिर्दिष्ट तरीके हरित ऊर्जा उपकर देय होगा। इस धारा के अधीन भारित उपकर कैप्टिव उत्पादन संयत्र द्वारा राज्य सरकार को देय होगा।

परन्तु कैप्टिव उत्पादन संयत्र के द्वारा अथवा संचालक अथवा मालिक के द्वारा विद्युत ऊर्जा के स्वयं के खपत पर हरित ऊर्जा उपकर नहीं लगेगा।

(5) विद्युत उत्पादन इकाईयों या कैप्टिव उत्पादन संयत्र द्वारा वैसे संस्थान, जिसमें झारखण्ड सरकार का इक्यावन प्रतिशत (51%) या उससे अधिक हिस्सेदारी है, को बेची जाने वाली विद्युत ऊर्जा अथवा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा पर हरित ऊर्जा उपकर नहीं देय होगा।

परन्तु विद्युत उत्पादन इकाईयों, जिसमें झारखण्ड सरकार का इक्यावन प्रतिशत (51%) या उससे अधिक हिस्सेदारी है, के द्वारा स्वंय या स्वंय कर्मचारियों को विद्युत ऊर्जा विक्रय अथवा आपूर्ति अथवा उपभोग करने पर, हरित ऊर्जा उपकर नहीं देय होगा।

(6) इस धारा की उप-धारा(1) में वर्णित ऐसा उपकर, उपधारा (2), (3) एवं (4) में विहित विद्युत ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति पर प्रति यूनिट पर पंद्रह पैसे तक की दर से भारित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार, समय-समय पर यह दर अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकेगा।

4. पंजीकरण:

- (1) विद्युत उत्पादन कंपनी और कैप्टिव उत्पादन संयत्र, जो राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है और जो राज्य में स्थित वितरण लाईसेंसधारी या उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करती है अथवा बेचती है, या ऐसे विद्युत वितरण लाईसेंसधारी जो 33 के वी या उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे, उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा विक्रय अथवा आपूर्ति कर रही है, उन्हें हरित ऊर्जा के संग्रहकर्ता या निरीक्षक से पंजीकरण करवाना होगा।
- (2) पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र एवं निर्धारित समयावधि में आवेदन करना होगा।
- (3) धारा 4 उपधारा 2 के अंतगर्त पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संग्रहकर्ता(कलेक्टर) या निरीक्षक अपने संतुष्टि पर निर्दिष्ट प्रपत्र में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगे।

5. प्राप्तियों का राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना

हरित ऊर्जा उपकर की प्राप्तियों, ब्याज और इस अधिनियम के अधीन वसूल किये गये जुर्माने को पहले राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा तत्पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा निर्मित विनियोजन के अधीन उस में से संग्रह और वसूली के व्यय को घटाकर अनन्य रूप से इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए हरित ऊर्जा निधि नाम से निधि में प्रविष्ट व अंतरित किया जाएगा।

6. हरित ऊर्जा निधि की स्थापना

- (1) इस अधिनियम के उद्देश्य से "हरित ऊर्जा निधि" नाम से एक निधि की स्थापना की जायेगी।
- (2) यह निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और इस में निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी
- (क) धारा 5 के अधीन प्राप्त की गई कोई धन राशि;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा किसी अनुदान के रूप में दी गई राशि।

7. निधि का उपयोग एवं प्रबंधन

- (1) निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा:-
 - (क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा विद्युत के उत्पादन को बढावा देने हेत्;
 - (ख) गैर-परम्परागत ऊर्जा के क्रय और आर०ई०सी०(नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र) का क्रय करने हेतु;
 - (ग) राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेत् पहल करने के लिए;
 - (2) राज्य में ऊर्जा के नवीकरण और गैर-परम्परागत स्रोतों से उत्पादन के विकास, सुधार और विद्युत आपूर्ति के विकास हेतु, योजनाओं के निष्पादन के लिये, निधि को विस्तारित करने हेतु।

- (3) राज्य सरकार के पास इस निधि के प्रशासन की शक्ति होगी तथा वह ऐसे निर्णय ले सकेगी, जो निधि के उचित उपयोग के लिये आवश्यकता हों।
- (4) यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे, अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु उतरदायी संबंधित विभाग/अभिकरण के लिये, हरित ऊर्जा निधि से, राशि के आवंटन और संवितरण की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी।

8. उपकर प्राधिकारी

- (1) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिये एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जो हिरत ऊर्जा उपकर का संग्रहकर्ता या निरीक्षक होगा। संग्रहकर्ता या निरीक्षक की सहायता के लिये ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, जो संग्रहकर्ता द्वारा प्रदत कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।
- (2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, किसी ऐसे व्यक्तियों को संग्रहकर्ता या निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे, जो राज्य सरकार द्वारा उनको विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेंगे।

9. उपकर प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

- (1) संग्रहकर्ता या निरीक्षक इस अधिनियम के उद्देश्य हेत्:-
 - (क) ऐसी पुस्तकों या अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है, जो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की राशि को अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिये आवश्यक हो;
- (ख) किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर जांच कर सकता है, जहां निम्नांकित उद्देश्य से विद्युत उत्पादन किया जा रहा हो या किये जाने का विश्वास हो -
 - (i) रखी गयी लेखा प्स्तकों में, दिये विवरण और जमा की गई लेखा विवरणी के सत्यापन हेत्;
 - (ii) निर्धारित तरीके से विभिन्न मीटरों और जनरेटर पैनलो को पढ़ने और परीक्षण करवाने के लिए;
 - (iii) उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में, अपेक्षित विवरणों का सत्यापन।
- (ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उद्देश्य पूरा करने के लिये आवश्यक हों।
- (घ) यदि कोई उत्पादक या वितरण लाईसेंस धारी (33 के वी या उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहें उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, यथास्थिति ऐसी मांग का अनुपालन नहीं करता है या सत्य सूचना प्रदान नहीं करता है, तो उसे ऐसी परियोजना या भवन या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संबंध में, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी निर्धारण पर आपत्ति करने से रोक दिया जायेगा।
- (2) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन की गई सभी खोजें, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के आधार पर की जायेंगी।

10. लेखा पुस्तिका, विवरणी और निर्धारण

- (1) ऐसी प्रत्येक वितरण लाईसेंस धारी या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, जो धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (4) के अनुसार उपकर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, विद्युत के सकल उत्पादन के अभिलेखन हेतु, मीटर संस्थापित करेगा तथा इसे निर्धारित तरीके से अनुरक्षित व प्रचालित रखा जायेगा।
- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक उत्पादन कंपनी या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, निर्धारित रूप में लेखा पुस्तिकायें रखेगी तथा निर्धारित प्रपत्र में, निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी के पास विवरणी जमा करेगी जिसमें उत्पादित विद्युत

- ऊर्जा की यूनिट, देय और भुगतान किये गये हरित ऊर्जा उपकर की राशि, उपयोग किया गया ईंधन तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।
- (3) वितरण लाईसेंस धारी निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड के सभी 33 के वी॰ और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं (अपने कार्य क्षेत्र) की लेखा पुस्तिकायें रखेगा तथा निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता या निरीक्षक के पास विवरणी जमा करेगा जिसमें राज्य में 33 के वी॰ और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा यूनिटें, देय और भुगतान किये गये हरित ऊर्जा उपकर की राशि तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।

11. स्वनिधारण

- (1) इस अधिनियम के लागू होने पर प्रत्येक उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंस धारी (33 के वी0 और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, जो इस अधिनियम के अधीन धारा 3 के अनुसार हरित ऊर्जा उपकर के भुगतान के उत्तरदायी हैं; इस प्रकार से स्वनिर्धारण करेंगे तथा भुगतान किये जाने वाली अविध हेतु, विवरणी दाखिल करेंगे, जैसा कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- (2) यथास्थिति प्रत्येक विद्युत उत्पादक कंपनी या विद्युत वितरण लाईसेंस धारी (33 के वी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, जो इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित उपकर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान यथास्थिति संग्रहकर्ता या निरीक्षक को करेगा।
- (3) यदि कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी 33 के वी॰ और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए, या कैप्टीव उत्पादक संयत्र जिसमें धारा 11 के उपधारा(1) के अधीन स्व निर्धारण किया है, अपने स्वनिर्धारण के बाद में कोई वास्तविक त्रुटि या चूक पाता है, तो वह उस त्रुटि या चूक को सुधार सकता है, यदि ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप उपकर की राशि में मूल उपकर की राशि की अपेक्षा वृद्धि होती है, तो ऐसी अतिरिक्त उपकर की राशि का भुगतान उसके द्वारा किए गए सुधार की तिथि से तीस दिनों के भीतर किया जायेगा। यदि भुगतान किया गया उपकर, देय उपकर से अधिक है तो यथास्थिति कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी (33 के वी॰ और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा संग्रहकर्ता या निरीक्षक को रिर्टन दाखिल करने पर, अतिरिक्त भुगतान की राशि प्रतिदेय होगी।
- (4) विवरणी के सही होने का अभिनिश्चय करने की दृष्टि से, संग्रहकर्ता इस अधिनियम के अधीन उपकर का भुगतान करने की दायी, यथास्थिति उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंस धारी (33 के वी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा प्रस्तुत विवरणियों, दस्तावेजों या जानकारी की जाँच कर सकेगा।
- (5) (क) जहाँ, धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात्, यह पाया जाता है कि ऐसी विवरणी के आधार पर भुगतान किये गये किसी उपकर के समायोजन के पश्चात भी अतिरिक्त उपकर देय रहता है तो इस संबंध में ऐसे देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए, संग्रहकर्ता द्वारा यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंस धारी(33 के भी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र को सूचना भेजी जायेगी और सूचना को माँग नोटिस माना जायेगा।
- (ख) धारा 11 के उपधारा (5) के खण्ड (क) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, संग्रहकर्ता या निरीक्षक अपने स्वंय के प्रस्ताव या उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंस धारी (33 के वी और उससे अधिक पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या

कैप्टीव उत्पादक द्वारा देय हरित ऊर्जा उपकर का, अपने उत्कृष्ट निर्णय के अनुसार, निर्धारण कर सकेगा यदि:-

- (i) उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंस धारी (33 के वी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन विवरणी दाखिल नहीं करती है, या
- (ii) यह विश्वास करने का निश्चित कारण है कि यथास्थिति उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के वी और उससे अधिक लाईसेंसधारी पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन दाखिल की गई विवरणी सही या पूर्ण नहीं है।
- (ग) यदि धारा 11 के उपधारा(5) के खण्ड (ख) के अधीन, निर्धारण करने के पश्चात् संग्रहकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र से उपकर देय हो गया है, तो वह देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र को सूचना भेजेगा जिसे मांग नोटिस माना जायेगा।
- (घ) धारा 11 के उपधारा(5) के खण्ड (क) अथवा (ग) के अधीन, उपकर की राशि का भुगतान यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी (33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा, मांग नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जायेगा।

बशर्ते यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी (33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र को धारा 11 के उपधारा(5) के खण्ड (क) अथवा (ग) के अधीन हरित ऊर्जा उपकर की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने से पूर्व, उसे संग्रहकर्ता या निरीक्षक द्वारा स्नवाई का अवसर दिया जायेगा।

- (6) नोटिस, डिमान्ड नोटिस या इस अधिनियम के अधीन पारित कोई अन्य आदेश, उचित रूप से तामील किया माना जायेगा, यदि उसे निम्नलिखित में से किसी माध्यम में से उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के0भी0 और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र के पता पर भेजा जाये -
 - (क) निबंधित डाक द्वारा; या
 - (ख) संग्रहकर्ता या निरीक्षक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सुपुर्दगी; या
 - (ग) सम्बन्धित उत्पादक या उपभोक्ता के पास कुरीयर द्वारा सुपुर्दगी; या
 - (घ) ई-मेल द्वारा।

12. वसूली

- (1) उपकर भुगतान हेतु दायी उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के0भी0 और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयंत्र द्वारा विहित अविध में भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें उपकर के भुगतान के साथ, ब्याज राशि का भी भुगतान करना होगा एवं ब्याज राशि की गणना निर्धारित देय तिथि के दूसरे दिन से भुगतान तिथि तक की जाएगी, जो साधारण ब्याज की दर से निर्धारित होगा, जो कि 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिक नहीं होगी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन उपकर या ब्याज या जुर्माने के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान, यदि निर्धारित अविध में नहीं किया जाता है तो उसे बकाया माना जायेगा और उस पर उपकर के साथ ब्याज भी इस अधिनियम के तहत भारित किया जायेगा तथा वसूली योग्य होगा।

(3) जहाँ कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, इस उपकर, जुर्माने या ब्याज के कारण किसी राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी है, तथा वह देय से कम राशि का भुगतान करता है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि को पहले ब्याज के भुगतान हेतु, उसके पश्चात् जुर्माना(यदि कुछ शेष है) और तत्पश्चात् उपकर(यदि कुछ शेष है), के अनुसार समायोजित किया जायेगा।

13. जुर्माना:-

यदि उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वाल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपकर का भुगतान नहीं करती है तो वह इस प्रकार देय उपकर के अतिरिक्त, प्रतिमाह 2%(दो प्रतिशत) की दर से जुर्माने का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

14. लेखा प्स्तिका संधारित नहीं होने पर जुर्माना

यदि कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के0भी0 और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र,

- (क) लेखा पुस्तिका नहीं रखता है या इस अधिनियम के उपबन्धों या उनके अधीन बनाये गए नियमों के अन्सार विवरणी जमा नहीं करता है, या
- (ख) झूठे लेखा-पंजियाँ या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या जानबूझ कर झूठी सूचना प्रस्तुत करता है, या
- (ग) संग्रहकर्ता अथवा निरीक्षक को इस अध्यादेश के अधीन प्रदत शक्तियों के प्रयोग में जानबूझ कर रूकावट डालता है, या
- (घ) इस धारा के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के प्रचालन में, किसी व्यक्ति को सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है तो उसे दोष सिद्धि पर धारा 13 के अंतर्गत जुर्माना धारित कर दिण्डित किया जाएगा।

15. मीटर से छेड़छाड़ करने पर जुर्माना

- (1) जो कोई (उत्पादक कंपनी या कैप्टीव उत्पादन संयत्रं) बेईमानी से -
- (क) मीटर से छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किये गये मीटर का उपयोग करता है, करेंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर या लूप कनेक्शन का उपयोग करता है या किसी ऐसी अन्य युक्ति या तरीके का उपयोग करता है, जो विद्युत करेंट के सही-सही रजिस्ट्रेशन, कैलिब्रेशन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता हो या अन्यथा ऐसा परिणाम देता हो, जिससे उत्पादित विद्युत सही रूप से अंकित न होती हो; या
- (ख) विद्युत मीटर, उपकरणों को क्षिति पहुंचाता हो, नष्ट करता हो या इस अधिनियम के उद्देश्य से विद्युत की उचित या सही मीटिरंग और रिकार्डिंग में हस्तक्षेप के लिये उनमें से किसी को क्षिति पहुंचाता या नष्ट करता हो; या
- (ग) ऐसे साधनों का उपयोग करे, जिनसे उत्पादित विद्युत की सही रीडिंग में व्यवधान होता हो, पर जुर्माना लगाया जायेगा, जो कि प्रथम बार पकड़े जाने पर, इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम वित्तीय लाभ के बराबर होगा तथा दूसरी बार और उससे आगे पकड़े जाने पर जुर्माना, इस उल्लंघन से प्राप्त वित्तीय लाभ के दोगुने से कम नहीं होगा।
- (2) ऐसे वित्तीय लाभ की गणना के लिये यह माना जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी या कैप्टीव उत्पादन संयत्र लगातार निम्नलिखित अविध से उत्पादन कर रही है -
- (क) 10 मेगावाट से कम क्ल संस्थापित क्षमता के मामले में एक वर्ष;
- (ख) अन्य मामले में 2 वर्ष,

निरीक्षण या पकड़े जाने, जो पहले हो, की तिथि के ठीक पहले जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये। यह भी मान लिया जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी या कैप्टीव उत्पादन संयत्र, इस पूर्ण अविध के दौरान, अपनी पूर्ण संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही थी।

16. सील करने की शक्ति:-

यदि उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के0भी0 और उससे अधिक पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय उपकर और जुर्माने का भुगतान डिमान्ड नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 60 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो संग्रहकर्ता या निरीक्षक परियोजना अथवा भवन अथवा संस्थान को सील करेगा। उपकर तथा जुर्माने की वसूली होने तक सीलिंग प्रभावी रहेगी।

17. जुर्माना लगाने के लिये सक्षम अधिकारी:-

इस अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाने के लिये संग्रहकर्ता या निरीक्षक सक्षम प्राधिकारी होंगे। तथापि किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को स्नवाई का अवसर दिये बगैर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

18. अपील

(1) धारा 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के अधीन संग्रहकर्ता या निरीक्षक के निर्णय से व्यथित, कोई उत्पादन कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के0भी0 और उससे अधिक वाल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र, राज्य सरकार द्वारा नामित अपील प्राधिकारी के पास निर्णय की तिथि से साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

परन्तु धारा 16 के अधीन, निर्धारण के आदेश के विरूद्ध, किसी अपील पर, राज्य सरकार द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि जिस संबंध में अपील की गई है, उस संबंध में संग्रहकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित पचास प्रतिशत उपकर के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण, अपील के साथ न लगाया गया हो।

अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता तथा उपकर प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित में कारण अभिलिखित कर, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे एवं अपील प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित न किया जाये।

- (2) जहां संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है, वहां राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्रधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर, किसी निर्णय या आदेश की वैधता और औचित्य तथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों की कार्यवाहियों की नियमितता की संतुष्टि के उद्देश्य से, कार्यवाहियों के अभिलेख मँगा सकेगी और उनकी जाँच कर सकेगी तथा उन पर आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे। अपने कार्यों के निष्पादन में, अपील प्राधिकारी के पास व्यवहार न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- (3) अपील या पुनर्विलोकन में, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में, इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

19. अन्य देयता का जुर्माने से प्रभावित न होनाः-

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना, किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के संबंध में अधिरोपित जुर्माना के अतिरिक्त होगा तथा किसी अपराध या देयताओं के अल्पीकरण में नहीं होगा।

20. अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे:-

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रहकर्ता, निरीक्षक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।

21. वाद वर्जनः-

इस अधिनियम के उपबंधों या उनके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के अनुशरण में किये गये या किये जाने के लिये, आशायित सद्भाव में किये गये किसी कार्य के लिये, इस अधिनियम के अधीन संग्रहकर्ता या निरीक्षक के विरूद्ध वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

22. अधिकारिता पर रोक:-

उस संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की किसी प्रकार की अधिकारिता नहीं होगी, जिस में इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी इसका संज्ञान लेने व इसके निपटारे के लिये सक्षम किया गया है तथा जिस तरीके से, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी उसमें विहित शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

23. नियम

- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सामान्य रूप से नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से किसी या सभी मामलों के लिये नियम या उपबंध कर सकेंगे:-
 - (क) धारा 3 के अधीन उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का तरीका और दर;
 - (ख) धारा 9 के अधीन, उपकर प्राधिकारियों की अन्य शक्तियां और कर्तव्य;
 - (ग) लेखा पुस्तिकायें और विवरणी रखने का तरीका और रूप तथा धारा 10 के अधीन विवरणी जमा करना;
 - (घ) संग्रहकर्ता या निरीक्षक द्वारा अंकेक्षण और सत्यापन करने का तरीका;
 - (ड) धारा 12 के अधीन देय साधारण ब्याज की दर;
 - (च) धारा 4 के तहत पंजीकरण अवधि और प्रपत्र,
 - (छ) धारा 4 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
 - (ज) ऐसे अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अधीन विदित किये जायें या किये जा सकेंगे।
- (3) इस धारा के अधीन निर्मित नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे;

परन्तु यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियम के लिये, पूर्व प्रकाशन के प्रावधान को अभिमुक्त कर सकती है।

- (4) इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम, निर्मित होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।
- (5) राज्य विधान सभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन या परिवर्तन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और तत्पश्चात प्रभावी होगा।

24. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति:-

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर, ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 7 जुलाई, 2021

संख्या-एल॰जी॰-03/2021-40/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-02/07/2021 को अन्मत झारखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अन्वाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है,जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Green Energy Cess Act, 2021 (Jharkhand Act - 06, 2021)

An Act to levy Green Energy Cess on generation, distribution, sale and consumption of electricity in the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy Second year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement :-

- (1)This Act may be called as Jharkhand Green Energy Cess Act, 2021.
- (2)It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (3)It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires:-

- (a) "cess" means a Green Energy cess under section 3 of this Act;
- (b) "Collector" or "Inspector" means any person or authority, authorized as such by the State Government to collect tax under section 8 of this Act;
- (c) "Captive Power Plant" shall have the meaning as defined in sub-section (8) of section 2 of the Electricity Act, 2003;
- (d) "Unit" means 1 Kilowatt power consumed or generated during 1 hour;
- (e) "fund" means the Green Energy Fund established under section 6;
- (f) "generating company" means any company or corporate body or association or body of individuals, whether incorporated or not, or any individual or artificial juridical

person, which owns or operates or maintains a generating station or standby generating plant using non-renewable sources of energy;

- (g) "Appellate authority" means an officer appointed as such by the State Government under section 18 of this Act;
- (h) "State Government" means the Government of the State of Jharkhand;
- (i) Words and expressions used but not defined in this part and defined in Jharkhand Electricity Duty Act, shall have the meaning respectively assigned in that Act.

3. Levy and Collection of Green Energy Cess:

(1) The cess levied and collected would be levied as Green Energy Cess for the purpose of this Act.

(2) For Generating Company:-

Every generating company based on non renewable sources of energy located within the state of Jharkhand shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner a Green Energy Cess on the total units of electrical energy sold or supplied to a distribution licensee or consumer in the state of Jharkhand or consumed by itself or by its employees in the prescribed period. The levied Cess shall be payable by the generating company.

(3) For Consumers operating at voltage level 33Kv and above:-

Green Energy Cess shall be levied on the electricity supplied to consumers of the State operating at voltage level 33kV and above. The amount of Cess would be collected by Distribution Licensees and remitted to the Green Energy Fund of State Government. The levied Cess shall be payable by the Distribution Licensees.

(4) For Power Generation from Captive Power Plant :-

Every person owning or operating a captive generation plant shall pay a Green Energy cess on the total units of electrical energy sold or supplied to a distribution licensee or consumer in the State of Jharkhand or consumed by its employees during prescribed period. The levied Cess shall be payable by the Captive Power Plant.

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy consumed by itself or the person owning or operating a captive generating plant.

(5) No cess shall be payable in respect of electrical energy sold or supplied by any Generating Company or Captive Power Plant to an entity in which the Government of Jharkhand has fifty one percent or more equity.

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy sold or supplied or consumed by itself or its employees by any Generation Company in which the Government of Jharkhand has fifty one percent or more equity.

(6) Such Cess as per sub-section (1) of this section shall be **upto Fifteen paisa per unit** of the electricity sold or supplied as prescribed in sub-section (2), (3) and (4). This rate of cess can be changed by the State Government by notification from time to time as per the need of the hour.

4. Registration

- (1) Whoever generates electricity i.e. generating company and captive generation plant situated in the State and selling and supplying power to Distribution licensees or consumers in the state or distribution licensees selling power to such consumers operating at voltage level 33kV and above shall be required to apply for and obtain a registration certificate from the Collector or Inspector of Green Cess.
- (2) The application for the registration shall be made in such form and within such period as prescribed.
- (3) On receipt of an application for registration under sub-section (2) of section 4, the Collector or Inspector on its satisfaction, may issue a certificate of registration in such form as may be prescribed.

(4)

5. Crediting of proceeds to consolidated fund of the State:-

The proceeds of the cess, interest and penalty recovered under this Act shall first be credited to the Consolidated Fund of the State, and after deduction of the expenses of collection and recovery there from shall, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in and transferred to a separate fund called the Green Energy Fund, for being utilized exclusively for the purposes of this Act.

6. Establishment of Green Energy Fund

- (1) There shall be established a fund called "Green Energy Fund" for the purpose of this Act.
- (2) The Fund shall be under the control of the State Government and there shall be credited therein:-
 - (a) any sums of money paid under section 5
 - (b) the sums by way of any grant by the State Government.

7. Utilization and Management of the Fund

- (1) The fund shall be utilized for the following purposes:-
 - (a) promoting the generation of electricity through renewable energy sources,
 - (b) purchase of non-conventional energy and purchase of RECs (Renewable Energy Certificates), and
 - (c) taking initiatives for protecting environment in the State.
- (2) The Fund may be expended for executing schemes for development and improvement of generation of electricity by renewable and non-conventional sources of energy and improvement and development of power supply in the State.
- (3) The State Government shall have the power to administer the Fund and shall take such decisions as may be required for the proper utilization of the Fund.
- (4) The State Government shall also have the power to allocate and disburse such sums from the Fund as it considers necessary to the concerned Departments responsible for achieving the objective of this Act.

8. Cess authorities

- (1) For carrying out the purpose of this Act, the State Government shall appoint a person to be the Collector or inspector of Green Energy Cess for the whole of the State of Jharkhand and such other officers and employees to assist the Collector or Inspector as the State Government thinks fit who shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by the Collector or Inspector.
- (2) The State Government may by notification in the Official Gazette, appoint any person as it thinks fit to be Collector or Inspector for the purposes of this Act who shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by or under this Act within the limits of such area as the State Government may specify therein.

9. Power and Duties of Cess authorities:-

- (1) The Collector or the Inspector may for the purposes of this Act:-
 - (a) Can inspect such books and records as may be necessary for ascertaining or verifying the amount of Cess leviable under this Act;

- (b) enter and search any premises where electricity is or is believed to be generated for the purpose of:
 - (i) verifying the statements made in the books of account kept, and returns submitted,
 - (ii) reading and getting tested the various meters and generator panels in the prescribed manner,
 - (iii) verifying the particulars required in connection with the levy of cess,
- (c) Exercise such other powers and perform such other duties as may be necessary for carrying out the purposes of this Act or the rules made there under.
- (d) if any generator or Captive Power Plant or Distribution Licensee (consumers operating at voltage level of 33 kV and above), as the case may be, does not comply with such requisition of fails to give true information, it shall be precluded from objecting to any assessment made by the assessing authority in respect of such project or building or commercial establishment.
- (2) All searches made under sub-section (1) of section 9 shall be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure,1973.

10. Account, Books, returns and assessment:-

- (1) Each generating company or Captive Power Plant that is liable to pay cess as per subsection (2) and (4) of section 3 shall install a meter for recording gross generation of electricity as provided in Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations, 2006 and same shall be maintained and operated in a manner as may be prescribed.
- (2) Each generating company or Captive Power Plant liable to pay cess as per the provisions of this Act, shall keep and maintain books of account in the prescribed form and shall submit to the Collector, returns in such form and at such times as may be prescribed, showing the units of energy generated, the amount of Cess payable and that paid, fuel used and such other details as may be prescribed.
- (3) Distribution Licensees shall keep and maintain books of account of all consumers operating at voltage level of 33 kV and above of Jharkhand in the prescribed form and shall submit to the Collector or Inspector, returns in such form and at such times as may be prescribed, showing the units consumed by the consumers of the state operating at the voltage level 33kV and above, the amount of Cess payable and that paid and such other details as may be prescribed.

11. Self-Assessment

- (1) On commencement of this Act, every generating company or captive power plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level of 33kV and above) that are liable to pay cess as per Section 3 under this Act, shall make selfassessment of cess in such manner and shall file a return for the period, for which cess is to be paid, in such form, as may be specified by the State Government by notification.
- (2) Every generating company or Captive Power Plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33 kV and above), as the case may be, liable to pay cess under this Act, shall pay to the collector or Inspector, the full amount of cess, as assessed by him according to the provision of this Act.
- (3) If any generating company or Captive Power Plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, who has made self-assessment under sub section (1) of section 11, later on discovers any bona-fide error or omission in the self-assessment, he may rectify such error or omission as such rectification results in a higher amount of cess due than the original cess, he shall make payment to the additional amount of cess within a period of 30 days from the date of rectification. In case the cess paid is more than the cess due, the excess payment of cess shall be refundable on filing an application to the Collector or Inspector by the generating company or the Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be.
- (4) With a view to ascertain the correctness of returns the collector may check the returns, documents or information submitted by the generating company or Captive Power Plant or the distribution licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, liable to pay cess under this Act.
- (5) (a) Where, after filing a return under Sub-Section (1) of Section 11, it is found that even after adjustment of any cess paid on the basis of such returns, an additional cess is still due, an intimation in this regard shall be sent to the generating company or the distribution licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, by the collector or Inspector, specifying therein, the amount of cess so payable and such intimation shall be deemed to be a demand notice.
 - (b) Notwithstanding anything contain in clause (a) of sub-section 5 of section 11, the collector or Inspector on his own motion or on the basis of information received by him,

may, make an assessment to the best of his judgment, of the cess, payable by the generating company or the Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, where –

- (i) generating company or Captive Power Plant or the Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, fails to file a return under sub-section (1) of Section 11; or
- (ii) there is definite reason to believe that a return filed under sub-section (1) of Section 11 by the generating company or Captive Power Plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, is not correct or complete.
- (c) If, after making assessment under clause (b) of Section 11, the collector comes to the conclusion that a cess become due from the generating company or captive power plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, it shall send an intimation to the generating company Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, by specifying therein the amount of due cess, which shall deemed to be a demand notice.
- (d) The amount of cess under clause (a) or (c) of sub-section 5 of section 11, shall be paid by the generating company or captive power plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be, within a period of 30 days from the date of issue of demand notice.

Provided that before directing the Generating company or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above) or captive power plant, as the case may be, to pay the amount of cess under Clause (a) or (c) of sub-section 5 of section 11, he shall be given an opportunity of being heard by the collector or Inspector.

- (6) The notice, demand notice or any order, passed under this Act shall be deemed to be duly served, if the same is sent on the address of the Generating Company or Captive Power Plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), as the case may be
 - (a) by registered post; or
 - (b) delivered by any person deputed by the collector or Inspector; or
 - (c) delivered to the concerned generator or consumer through courier; or

(d) by e-mail.

12. Recovery

- (1) Where a generating company or captive power plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), which is liable to pay cess in the prescribed time, does not pay such amount of cess within such time limit, that shall be paid by such generating company or captive power plant or Distribution licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), for the period commencing on the date of expiry of the aforesaid period and ending on the date of payment of the amount of cess, simple interest at the rate as may be prescribed, not exceeding eighteen percent per annum.
- (2) All sums payable as cess or interest under this Act, if not paid within the prescribed period shall be deemed to be in arrears, and thereupon the amount of cess along with amount of interest to be levied under this Act shall be recoverable.
- (3) Where any generating company or captive power plant or distribution licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above), is liable to pay any amount on account of this cess, penalty or interest, and it pays amount less than amount due, the amount so paid shall be first applied towards the amount of interest, thereafter the balance, if any, towards penalty and thereafter the balance, if any, towards the amount of cess.

13. Penalty:-

If the Generating company or Captive Power Plant or the distribution licensees (for consumers operating at voltage at 33kV and above), as the case may be, fails to pay the cess in accordance with the provisions of this Act, it shall be liable to pay in addition to the cess so payable, a penalty thereon at the rate of two percent per month on the cess payable.

14. Penalty for failure to keep books of accounts.

If any generating company or Captive Power Plant or Distribution Licensees (for consumers operating at voltage level 33kV and above):-

- (a) fails to keep books of account or to submit returns in accordance with the provisions of this Act and rules made there under, or
- (b) produces false accounts, registers or documents, or knowingly furnishes false information, or
- (c) willfully obstructs the Collector or inspector in the exercise of the powers conferred upon him by or under this Act, or

(d) aids or abets any person in the commission of any act specified in clause (a), (b) or (c) of this section, shall on conviction, be punished with penalty as per the provision of section 13.

15. Penalty for tampering with meters.

- (1) Whoever (in case of Generating company or Captive Power plant), dishonestly: -
 - (a) tampers with a meter, installs or uses a tampered meter, installs or uses current reversing transformer, loop connection or resorts to any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of electric current or otherwise results in a manner whereby electricity generated is not correctly recorded; or
 - (b) damages or destroys an electric meter, apparatus, equipment's or causes or allows any of them to be so damaged or destroyed as to interfere with the proper or accurate metering and recording of electricity for the purpose of this Act; or
 - (c) uses such means which can lead to the obstruction of the correct reading of the electricity generated, shall be punishable with penalty which shall not be less than on the first detection, the financial gain on account of such transgression and in the event of second or subsequent detection the penalty imposed shall not be less than two times the financial gain on account of such transgression.
- (2) For calculation of such financial gain, it shall be presumed that such Generating company or Captive Power Plant has been generating electricity continuously for a period of-
 - (a) 1 year in case where aggregate installed capacity is less than 10MW, and
 - (b) 2 years in other cases,

Immediately preceding the date of inspection or detection, whichever is earlier, unless contrary is proved. It shall also be presumed that such generating company was generating electricity at full installed capacity throughout such period.

16. Power to Seal:-

If the cess and penalty payable under this Act, are not paid by the generating company or captive power plant or distribution licensees (for consumers operating at voltage at 33kV and above), as the case may be, with in a period of 60 days from the date of issue of demand notice, the collector, or Inspector shall seal the project or building or institution, as the case may be. The sealing shall remain effective till the cess and penalty are recovered.

17. Authority competent to impose penalty:-

The collector or inspectors shall be competent to impose penalty under this Act. No penalty shall, however, be imposed, unless the person or institution concerned is afforded an opportunity of being heard.

18. Appeal

(1) Any generating company or Captive Power Plant or distribution licensees (for consumers operating at voltage at 33kV and above) aggrieved by the decision of the Collector or Inspectors under sections 11, 12, 13, 14, 15 and 16 may prefer an appeal to the appellate authority nominated by State Government within sixty days from the date of such decision.

Provided that no appeal against an order of assessment under section 16 shall be entertained by the State Government unless such appeal is accompanied by satisfactory proof of payment of fifty percent of cess directed to be paid by the Collector or Inspectors in respect of which an appeal has been preferred.

The appellate authority may, after giving an opportunity of being heard to the appellant and to the cess authorities pass such order, as it may deem appropriate by recording reasons in writing, and the order of the appellate authority so passed, shall be final, unless revised by the State Government.

- (2) Where no appeal is preferred against a decision of the Collector or Inspector or cess authorities, the State Government may of its own motion or otherwise within one year from the date of any order passed by the Collector or Inspector or cess authorities, call for and examine the record of any proceedings of the Collector or Inspector or cess authorities, for the purpose of satisfying itself as to the legality or proprietary of any decision or order passed and as to the regularity of the proceedings of the Collector or Inspector or cess authorities, and pass such order thereon as it thinks fit.
 - In discharging its functions, the appellate authority shall have all the powers of a Civil Court.
- (3) The order passed by the State Government in appeal or review shall be final and shall not be called in question in any court of law.
- 19. Penalty not to affect other liabilities:- The penalty imposed under this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any offence or liability in respect of any contravention of the provisions of any other Act.

- **20.** Officers and employees to be public servants:- The Collector or Inspector and other officers and employees appointed under this Act shall be deemed to be the public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
- 21. Bar to suits:- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against Collector or Inspector under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rules made there under.
- 22. Bar on jurisdiction:- No civil court shall have any jurisdiction in any manner, in respect of which, the State Government or any other person or authority is empowered by this Act to take cognizance, and dispose it of, and the manner in which the State Government or such person or authority, may exercise any power, vested in it or him by or under this Act.

23. Rules

- (1) The State Government may make by notification in the *Official Gazette*, rules generally for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters:-
 - (a) manner and rate for levy and collection of cess under section 3;
 - (b) other powers and duties of cess authorities under section 9;
 - (c) manner and form for maintaining books of accounts and returns and submission of returns under section 10:
 - (d) manner in which the audit and verification shall be made by the Collector or Inspector;
 - (e) rate of simple interest payable under section 12;
 - (f) form of application for registration and period under section 4;
 - (g) form of certificate of registration under section 4;
 - (h) such other matters which is to be or may be, prescribed under this Act.
- (3) The rules made under this section shall, subject to the condition of previous publication, be published in the Official Gazette:
 - Provided that if the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, it may dispense with the previous publication of any rule to be made under this section.
- (4) All rules made under this section shall be laid before the State Legislature as soon as may be after it is made.
- (5) Any rescission or modification made by the State Legislature shall be published in the Official Gazette and shall thereupon take effect.

24. Power to remove difficulties:-

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the *Official Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removal of difficulty.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
